न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर म0प्र0

नि - 1021 - II - 16

R. 1

रामसुरेश कुशवाहा पिता रामखेलावन कुशवाहा उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम करौदी तहसील अमरपाटन जिला सतना म0प्र0

29/3/16

——अनावेदक / पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1. श्रीमती सुनीता पत्नी रामनारायण कुशवाहा उम्र 38 वर्ष
2. मनोज कुमार कुशवाहा पिता स्व0 रामनारायण कुशवाहा उम्र 20 वर्ष
3. देवेन्द्र कुमार कुशवाहा पिता स्व0 रामनारायण कुशवाहा उम्र 16 वर्ष नाबालिग जरिये बली माँ श्रीमती सुनीता पत्नी रामनारायण कुशवाहा उम्र 38 वर्ष

सभी निवासी ग्राम करौदी तहसील अमरपाटन जिला सतना म0प्र0

——आवेदिकागण / गैरपुनरीक्षणकर्तागण

श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के न्यायालय के रा0प्र0क्र0 782 / अपील / 2014–15 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 04 / 02 / 2016 के विरूद्ध पुनरीक्षण।

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त अंशः—

रामसुरेश

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 1021-II/16 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
05–5–16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री लालसिंह कुशवाह उपस्थित। आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया। अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उभय पक्ष की सहमति से तहसील न्यायालय के प्रकरण कमांक 37/अ–27/06–07 में पारित आदेश दिनांक 13–4–07 से बटवारा होने के पश्चात अभिलेख दुरूस्त किया गया था। बिना किसी सक्षम अधिकारी के खसरा की प्रविष्टियों का सुधार करने संबंधी आवेदन को तहसीलदार द्वारा खारिज किये जाने तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त आदेश को यथावत रखा गया। दोनों न्ययालया द्वारा इस बात पर विचार नहीं किया कि अनावेदक के खसरे के कालम नं0 3 पर भूमिस्वामी के रूप में दर्ज प्रविष्टी को बिना सक्षम अधिकारी के विलोपित किये जाने के पश्चात प्रस्तुत त्रुटि सुधार आवेदन को दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति पेश न करने के अभाव में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 115/116 का आवेदन खारिज न करते हुये गुण–दोष पर निराकरण करना चाहिए था। इसी कारण अपर आयुक्त ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त कर तहसीलदार को त्रुटि सुधार करने के आदेश दिये हैं। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती है। अतः यह निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (के0सी0 जैन) सदस्य	